न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

गिसल आई नंबर 00247/2019

मुकदमा नंबर/टी.आई./119/2019 तारीख रजू :-17.09.2019

उनवान

रंगीलाल पिसरान बिहारी वगै. जाति जाट निवासी धंधावली तहसील हिण्डौन जिला करौली। सायलान (06)

बनाम

शेरसिंह पुत्र श्यामलाल वगै. जाति जाट निवासी धंधावली तहसील हिण्डौन जिला करौली, राजस्थान। गैरसायलान (02)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा (212 आर.टी.ए.)

यह प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ श्री एस.एल. चौधरी एडवोकेट द्वारा पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

उपर्युक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में श्रीमती नर्वदा देवी पत्नि श्री हीरा सिंह जाति जाट निवासी धंधावली तहसील हिण्डोन जिला करौली द्वारा श्री कृष्ण मोहन शर्मा एडवोकट के जरिए प्रार्थना पत्र केविएट पेश किया।

केविएट प्रस्तुतकर्ता एडवोकेट एवं एडवोकेट सायलान की बहस सुनी गयी। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। केविएटर ने अपनी बहस में कथन किया कि केविएटर नर्वदा द्वारा गैरसायल शेरसिंह का 1/6 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र कय किया है एवं नामांतकरण की प्रकिया प्रकियाधीन है, जिसके फलस्वरूप केविएटर को प्रकरण में पार्टी बनाया जाना आवश्यक था। ऐसी परिस्थिति में सायल का प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही सिद्धांत को साबित करने में कासिर रहे हैं इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है।

सायल की ओर से वकील एस.एल. चौधरी ने दौराने बहस न्यायालय को अगवत कराया कि सायलानं विवादग्रस्त आराजीयात के रिकॉर्ड के अनुसार सहखातेदार हैं एवं गैर सायलान आराजीयाज का बिना विधिक बंटवारा कराये आराजीयात को बेचान करने पर आमदा हैं। इसलिये विवादग्रस्त आराजीयात की रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत गैर सायलान को पाबंद फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अतः सायलान/गैरसायलान को को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नंबर 1179, 1180, 1188, 1237, 1238, 1260, 1263, 1264, 1280, 1290 कुल किता 10 कुल रकबा 1.42 हेक्टेयर स्थित ग्राम धंधावली पटवार हल्का सोमला रात्रा में से सायलान/[illegible] के हिस्से में से किसी प्रकार का रहन, बय, अन्तरण नहीं किया जावे। यह आदेश सायलान के हिस्से के अलावा अन्य हि[illegible] का अन्तरण पर प्रभावी नहीं होगा।

वास्ते तलबी गैरसायल[illegible] हों। रजिस्टर्ड तलवाना आज ही पेश नहीं [illegible] दशा में एवं [illegible] द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्ज विवादित आराजीयात [illegible] आदेश अपने हिस्से का रहन,वय,हक त्याग पाया जाने पर [illegible] निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 17.10.2019 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.30 16:35:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner